

स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष चुनौतियाँ

प्रलम्बि के लिये:

[स्ट्रीट वेंडर \(जीविका संरक्षण और पथ विक्रय वनियमन\) एक्ट, 2014](#), [74वाँ संवैधानिक संशोधन](#), [स्मार्ट सिटी मशिन](#), [राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#), [वशिव बैंक](#) और [संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास](#)

मेन्स के लिये:

[शहरी नयोजन संबंधी मुद्दे](#), [स्ट्रीट वेंडर्स का मामला](#), [स्ट्रीट वेंडर \(जीविका संरक्षण और पथ विक्रय वनियमन\) एक्ट](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [स्ट्रीट वेंडर \(जीविका संरक्षण और पथ विक्रय वनियमन\) एक्ट, 2014](#) ने अपनी दसवीं वर्षगाँठ मनाई, जो भारत में [2014](#) (2014) आंदोलनों द्वारा चार दशकों के कानूनी विकास एवं वकालत की परगिता को दर्शाता है।

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट और इससे जुड़े पहलू क्या हैं?

■ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट:

- कार्यक्षेत्र और उद्देश्य: यह एक्ट भारतीय शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा और वनियमन के लिये तैयार किया गया था, जिसमें नरिदषि वक्रिय क्षेत्र (Vending Zones) स्थापति करने में स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया गया था।
 - वेंडर्स शहरी जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, वे **खाद्य वतिरण और सांस्कृतिक पहचान** में योगदान करते हैं तथा इस कानून का उद्देश्य उनकी आजीविका को सुरक्षित करना एवं उनकी गतिविधियों को औपचारिक शहरी नयोजन में एकीकृत करना है।
- शासन संबंधी संरचना: यह एक्ट नगर विक्रय समितियों (Town Vending Committees - TVC) की स्थापना करता है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इस समूह में कुल
 - 33% महिला वेंडर्स होती हैं।
 - ये समितियाँ नरिदषि क्षेत्रों में वेंडर्स को शामिल करने और **शकियत नविवरण समिति** (सविलि न्यायधीश या न्यायिक मजसिद्रेट की अध्यक्षता में) जैसे तंत्रों के माध्यम से शकियतों को सुनने के लिये ज़मिमेदार हैं।
- अन्य प्रावधान:
 - यह एक्ट वभिन्नि स्तरों पर वेंडर्स और सरकार की भूमिकाओं तथा ज़मिमेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
 - प्रावधान के अनुसार, राज्यों/ULB को हर पाँच वर्ष में कम-से-कम एक बार **SV की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता** होती है।

■ कार्यान्वयन चुनौतियाँ:

- प्रशासनिक चुनौतियाँ:
 - एक्ट में उल्लिखित सुरक्षा के बावजूद, स्ट्रीट वेंडर्स को अक्सर **उत्पीडन और बेदखली** का सामना करना पड़ता है।
 - यह आंशिक रूप से एक अवैध गतिविधि के रूप में वेंडिंग के लगातार नौकरशाही वचिरों के कारण है।
 - इसके अतिरिक्त, TVC अक्सर वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने के बजाय शहर के अधिकारियों के नियंत्रण में रहते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अक्सर केवल प्रतीकात्मक होता है।
- शासन एकीकरण के मुद्दे:
 - यह एक्ट **74वें संवैधानिक संशोधन** द्वारा स्थापित व्यापक शहरी शासन ढाँचे के साथ एकीकृत होने के लिये संघर्ष करता है।
 - शहरी स्थानीय नकियाँ (ULB) के पास अक्सर एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये शक्ति और संसाधनों का आभाव होता है, खासकर **स्मार्ट सिटीज मशिन** जैसी व्यापक नीतियों के संदर्भ में, जो समावेशी शहरी नयोजन पर बुनयिदी ढाँचे को प्राथमिकता देते हैं।
- सामाजिक धारणा संबंधी समस्याएँ:
 - 'वशिव स्तरीय शहर' का दृष्टिकोण अक्सर **स्ट्रीट वेंडर्स को बाहर कर देता** है, जिसके तहत शहरी अर्थव्यवस्था में इनको

योगदानकरत्ता के बजाय उपद्रव करने वाले के रूप में देखा जाता है।

- सामाजिक कलंक से शहरी नयोजन और नीतियाँ प्रभावित होने के साथ ऐसी नीतियाँ बनती हैं जिससे **स्ट्रीट वेंडर्स** हाशिये पर चले जाते हैं।

■ कानून को मज़बूत करने के उपाय:

○ सहायक कार्यान्वयन की आवश्यकता:

- हालाँकि यह एकट प्रगतिशील है, और इसका प्रभावी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है तथा इसके लिये **आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय** जैसे उच्च सरकारी स्तरों से **प्रारंभिक शीर्ष मार्गदर्शन** की आवश्यकता हो सकती है।
- समय के साथ, देशभर में वेंडर्स के विविध स्थानीय संदर्भों के लिये रणनीतियों को तैयार करने हेतु अधिक **विकेंद्रीकृत शासन** की ओर परिवर्तन आवश्यक है।

○ शहरी योजनाओं के साथ एकीकरण:

- योजनाओं में स्ट्रीट वेंडर्स को बेहतर ढंग से शामिल करने के लिये नीतियों और शहरी नयोजन **दशान्तिदेशों** को **संशोधित** किया जाना चाहिये।
- इसमें शहरी नयोजन में वेंडर्स को शामिल करने के लिये ULB की क्षमताओं को बढ़ाना और TVC स्तर पर नौकरशाही नियंत्रण से अधिक समावेशी, विचार-वमिश्र प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना शामिल है।

○ नई चुनौतियों का समाधान:

- **जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव, **ई-कॉमर्स** से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वेंडरों में वृद्धि जैसी उभरती चुनौतियों के आलोक में अधिनियम की आवश्यकताओं का रचनात्मक रूप से उपयोग किया जाना चाहिये।
- इसमें इन बदलती वास्तविकताओं के लिये नवाचार और अनुकूलन करने के लिये **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (NULM)** जैसे राष्ट्रीय मशीनों के घटकों का लाभ उठाना शामिल है।

भारत में स्ट्रीट वेंडर नीतिका विकास:

- वर्ष 1995 में भारत ने **स्ट्रीट वेंडर्स की बेलाजियो अंतरराष्ट्रीय घोषणा** पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2001 में भारत सरकार ने **राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर नीतिका** मसौदा तैयार करने की घोषणा की।
- वर्ष 2009 में नीतिका संशोधित किया गया और इसके साथ एक मॉडल कानून भी लाया गया जिससे राज्य सरकार द्वारा अपनाया जा सकता था।
- वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने **स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडर का वनियमन) विधियक** को मंजूरी दी।
- वर्ष 2014 में संसद ने **स्ट्रीट वेंडर्स एकट** पारित किया।

भारत में स्ट्रीट वेंडर्स के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

■ कानूनी उलझन और उत्पीड़न:

- अनिश्चित कानूनी स्थिति: स्ट्रीट वेंडर्स एकट होने के बावजूद भी प्रवर्तन असमान बना हुआ है। कई वेंडर्स **बना लाइसेंस** के काम करते हैं, जिससे उन्हें **अधिकारियों और स्थानीय मध्यस्थों** द्वारा बेदखली एवं उत्पीड़न का खतरा होता है।
- रशियत और जबरन वसूली: **यू.एन.-हैबिट्ट** की रिपोर्ट इस मुद्दे को उजागर करती है कि वेंडर्स को पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को रशियत देने के लिये मजबूर किया जाता है।

■ अनिश्चित आजीविका और बुनियादी ढाँचे का संकट:

- प्रतिस्पर्धा और आय में उतार-चढ़ाव: कुछ क्षेत्रों में संतृप्त और स्थापित व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा **अप्रत्याशित आय** एवं आर्थिक असुरक्षा का कारण बनती है।
- अवास्तविक लाइसेंस सीमा: मुंबई जैसे अधिकांश शहरों में लाइसेंस सीमा तार्किक नहीं है, जहाँ पर अनुमानित 2.5 लाख वेंडर्स हैं जबकि लाइसेंस की सीमा को लगभग 15,000 तक सीमित रखा गया है।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव: स्वच्छ पानी, **स्वच्छता सुविधाओं** और अपशिष्ट नपिटान तक सीमित पहुँच, वेंडर्स तथा ग्राहकों दोनों के लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न करती है।
- वसि्थापन का खतरा: शहरी विकास परियोजनाएँ और सड़क चौड़ीकरण की पहल अक्सर **वेंडर्स को वसि्थापित** करती हैं, जिससे आजीविका में व्यवधान उत्पन्न होता है।
- **व्यावसायिक खतरे**: स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे वातावरण में काम करते हैं जो अक्सर उनके स्वास्थ्य के लिये **हानिकारक** होते हैं।

■ औपचारिक प्रणाली को नेवगिट करना:

- **जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया**: स्ट्रीट वेंडर्स एकट की **जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया कठिन** और औपचारिक हो सकती है, जो **वेंडर्स को हतोत्साहित** करती है।
- **ऋण तक सीमित पहुँच**: अनौपचारिक आय, वेंडर्स के व्यवसाय उन्नयन एवं वसितार के लिये ऋण प्राप्त करना कठिन बना देती है।
 - हालाँकि, **PM सवधि योजना** का लक्ष्य व्यापक स्तर पर लक्षित आबादी को लाभ पहुँचाना था, परंतु इससे लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए।
 - **जागरूकता की कमी**, दस्तावेज़ीकरण और नौकरशाही बाधाएँ जैसे मुद्दे कई वेंडर्स को योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित कर देते हैं।

- **लैंगिक भेदभाव**: महिला वेंडर्स को अक्सर **लैंगिक भेदभाव** का सामना करना पड़ता है, जो उनके व्यावसायिक अवसरों और आय को प्रभावित करता है।

- उनके प्रती हिंसा एवं उत्पीड़न की संभावना भी अधिक होती हैं, जिससे उन्हें व्यापार करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** कोविड महामारी के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण, कई लोगों ने अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो दिया तथा वे नरिधनता की स्थिति में पहुँच गए।

स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या से निपटने के लिये क्या कदम आवश्यक हैं?

- **वशिव बैंक** और **यू.एन.-हैबिटिट** स्ट्रीट वेंडर्स को एक समस्या के रूप में देखने के स्थान पर उन्हें शहरी अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में स्वीकार करते हैं।
- **औपचारिकीकरण और वनियमन:** स्ट्रीट वेंडर अधिनियम, औपचारिकीकरण की दशा में एक सकारात्मक कदम है। हनोई (वियतनाम) और अहमदाबाद (भारत) जैसे शहरों ने **वेंडर्स पंजीकरण प्रणाली** स्थापित की है, जो पहचान पत्र तथा स्वच्छता एवं सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **नरिदषिट कषेत्र: रयिो डी जनेरयिो (ब्राज़ील) और कगिाली (रवांडा)** जैसे शहरों ने व्यवस्था सुनिश्चिती करने और पैदल चलने वालों के प्रवाह में सुधार लाने के लिये नरिदषिट स्ट्रीट वेंडर्स ज़ोन स्थापिती कयिे हैं।
 - वेंडर्स तथा नविासी संघों के परामर्श से उपयुक्त कषेत्रों की पहचान करके इसे भारत में लागू कयिा जा सकता है।
- **बुनयिादी ढाँचा और सहायता: स्वच्छ जल, स्वच्छता सुवधिाएँ तथा अपशषिट नपिटांन तक पहुँच** प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। **लीमा (पेरू)** जैसे शहर अपशषिट प्रबंधन पर प्रशक्षिण और उपकरण उन्नयन के लिये सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं।
- भारतीय शहर गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करके इन मॉडलों का प्रयोग कर सकते हैं।
- **वेंडर्स संघ: कुमासी (घाना) जैसे संघों** के माध्यम से वेंडर्स को सशक्त बनाने से अधिकारियों के साथ बातचीत की सुवधिा मलिती है और सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा मलिती है।
 - भारत **वेंडर्स संघों** को प्रोत्साहित कर उन्हें नीतगित चर्चाओं में एकीकृत कर सकता है।
- **सहयोगात्मक दृषटकिण को बढ़ावा देना: प्रभावी स्ट्रीट वेंडर प्रबंधन के लिये बहु-हतिधारक दृषटकिण की आवश्यकता होती है:**
 - **स्थानीय प्राधिकारी:** शहरों को **अनुकूल वातावरण** बनाने में अग्रणी भूमिका नभिानी चाहयिे। इसमें वेंडर्स परमिटी जारी करना, नरिदषिट कषेत्र स्थापिती करना और बुनयिादी ढाँचा संबंधी सहायता प्रदान करना सम्मलिती है।
 - **स्ट्रीट वेंडर्स:** वेंडर्स को नयिमों का पालन करना होगा, **स्वच्छता मानकों को बनाए** रखना होगा और नरिदषिट शुल्क का भुगतान करना होगा। उन्हें वेंडर्स संघों में सक्रयिे रूप से भाग लेना चाहयिे तथा अधिकारियों के साथ रचनात्मक बातचीत में संलग्न होना चाहयिे।
 - **नविासी संघ:** भीड़भाड़ और अपशषिट प्रबंधन के वषिय में नविासियों की चितीओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वेंडर्स संघों के साथ खुला संचार और समाधानों का सह-नरिमाण इस अंतर को मटिा सकता है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और भारतीय पहल:

वर्ग	विवरण
वैश्विक पहल	ILO अनुशांसा 204 (श्रमकों का आर्थिक समावेशन), संयुक्त राष्ट्र SDGs 8 (सभी के लिये सभ्य कार्य) ग्लोबल एडवोकेसी के लिये स्ट्रीट वेंडर्स पहल (SVIGA) अनौपचारिक रोज़गार में महलिाएँ: वैश्वीकरण और संगठिती करना (WIEGO)
भारतीय योजनाएँ	PM स्वनधिि , स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, राज्य-वशिषिट योजनाएँ

नषिकर्ष:

- भारत का भवषिय जनसंख्या घनत्व और माल की वविधिता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, **प्रत्येक शहर की अनूठी वशिषताओं के अनुसार नीतयिाँ बनाने** में नहििती है। **कौशल वकिस एवं माइक्रोफाइनेंस** कार्यक्रमों के माध्यम से वेंडर्स की आर्थिक स्थरिती सुनिश्चिती करना महत्त्वपूर्ण है।

दृषटभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का वनियमन) एक्ट, 2014 के कार्यान्वयन के बाद भारत में स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजयिे। इन चुनौतियों के समाधान में एक्ट की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक वशि्लेषण कीजयिे और शहरी कषेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स की स्थरिती में सुधार हेतु उपाय सुझाइए।

??????:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-faced-by-street-vendors>

